

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-03 (मत्स्य)

देहरादून: दिनांक ०४ फरवरी, 2019

विषय-

भारत सरकार के कार्यक्रम ब्लू रिवोल्यूशन : समन्वित विकास एवं मात्स्यिकी प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत नवीन योजना "ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से अभिनव योजना" में धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10517/ब्लू-अभिनव/ 2018-19, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 के प्रस्तावानुसार तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-J-1203113/18/2018-Fy, दिनांक 29.11.2018 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 100.00 लाख {रू० 36.00 लाख (केन्द्रांश) + रू० 4.00 लाख (राज्यांश) + रू० 60.00 लाख (लाभार्थी अंश)} के अनुमोदित कार्यों हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से अभिनव योजना" में संलग्न परिशिष्ट 'क' की तालिका-1 में उल्लिखित कार्यों हेतु तालिका-2 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जनपद हेतु स्तम्भ-5 के विवरण के अनुसार केन्द्रांश धनराशि रू० 36.00 लाख (रू० छत्तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व शासनादेश संख्या-1432/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
- (2) भारत सरकार के पत्र संख्या-J-1203113/18/2018-Fy, दिनांक 29.11.2018 एवं सुसंगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- (3) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- (4) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण DBT के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०-08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (7) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

- (9) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (10) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण एवं लाभार्थियों की सूची फोटोग्राफ सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या-28 में लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्रीय आयोजित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-12 "ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से अभिनव योजना" -मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व शासनादेश संख्या-1432/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं। आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु Allotment ID. 51902280141, दिनांक 08-02-19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 56 (1)/XV-3/2018-08(30)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 56 /XV-3/2019-08(30)/2018, दिनांक 08 फरवरी, 2019 का संलग्नक

ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से अभिनव योजनान्तर्गत मिडियम साईज रिसर्कुलेट्री एक्वाकल्चर (आर0ए0एस0) यूनिट स्थापना हेतु रू० 36.00 लाख के कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण:-

1. भौतिक लक्ष्य

क्र० सं०	जनपद	मिडियम साईज रिसर्कुलेट्री एक्वाकल्चर (आर0ए0एस0) यूनिट स्थापना हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य
		सामान्य वर्ग (संख्या में)
-1-	-2-	-3-
1.	देहरादून	02

2. वित्तीय लक्ष्य

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल लक्ष्य	प्रोजेक्ट लागत	देय अनुदान @40%			लाभार्थी अंश @60%
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1.	देहरादून	02	100.00	36.00	4.00	40.00	60.00

(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - 56/XV-3/2019-08(30)/2018, dated 08.02.2019

अलोटमेंट आई डी - S1902280141

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक -08-Feb-2019

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: लेखा शीर्षक

2405 - मछली पालन

00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (75% के0स0)

12 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	3600000	3600000
	0	3600000	3600000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3600000

